



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-21042026-271916
CG-TL-E-21042026-271916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1879]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 18, 2026/चैत्र 28, 1948

No. 1879]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 18, 2026/CHAITRA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1949(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, आंध्र प्रदेश राज्य के अनकापल्ली ज़िले में, कासिमकोटा मंडल के कासिमकोटा ग्राम तथा अनकापल्ली मंडल के पिसिनिकाडा ग्राम में, बय्यवरम और अनकापल्ली स्टेशनों के बीच कि.मी. 740/06-08 पर स्थित समपार संख्या 482 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु का निर्माण, अर्थात् "विशेष रेलवे परियोजना" के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, अनकापल्ली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, अनकापल्ली आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के अनकापल्ली ज़िले में, कासिमकोटा मंडल के कासिमकोटा ग्राम तथा अनकापल्ली मंडल के पिसिनिकाडा ग्राम में, बय्यवरम और अनकापल्ली स्टेशनों के बीच कि.मी. 740/06-08 पर स्थित समपार संख्या 482 के स्थान पर, ए.सी. 5.326 सेंट भूमि के क्षेत्रफल तक सड़क उपरि सेतु का निर्माण।

क्र. सं.	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	LPM सं.	आरओबी प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ . सेंट)	भूमि का प्रकार	सर्वे के अनुसार पट्टादार का नाम
1	कासिमकोटा	कासिमकोटा	141	0.096	सरकारी भूमि	पुंटा
2	कासिमकोटा	कासिमकोटा	142	1.448	अधिग्रहित सरकारी भूमि	YLMC कालुवा
3	कासिमकोटा	कासिमकोटा	143	0.298	पट्टा भूमि	बूरा अप्पलकोंडा / अप्पाराव
4	कासिमकोटा	कासिमकोटा	147	0.569	सरकारी भूमि	रेलवे रोड
5	कासिमकोटा	कासिमकोटा	226	0.143	इनाम भूमि	डोड्डी अप्पलनरसम्मा / नूकाराजु
6	कासिमकोटा	कासिमकोटा	288	0.01	पट्टा भूमि	पट्टादार
7	कासिमकोटा	कासिमकोटा	4303	0.03	पट्टा भूमि	पट्टादार
8	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	818	0.232	पट्टा भूमि	कर्ी
9	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	819	0.079	पट्टा भूमि	कर्ी रामनबाबू
10	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	822	0.36	पट्टा भूमि	बोयिना संथा कुमारी
11	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	823	0.032	पट्टा भूमि	मल्ला नायडु
12	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	824	0.032	पट्टा भूमि	येल्लापु वेंकट लक्ष्मी
13	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	837	0.969	पट्टा भूमि	नागिरेड्डी तारकराम

14	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	838	0.058	पट्टा भूमि	सिलपरसेट्टी नागा राजु
15	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	839	0.071	पट्टा भूमि	सिलपरसेट्टी नागा राजु
16	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	840	0.052	पट्टा भूमि	मद्दला पवन कुमार
17	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	841	0.014	पट्टा भूमि	चित्तलंका श्रीनिवास राव
18	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	853	0.108	पट्टा भूमि	कोरिबिल्ली शिवा गौरी सन्यासीराव
19	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	863	0.282	पट्टा भूमि	मल्ला सत्यवती
20	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	867	0.016	पट्टा भूमि	कुनिसेट्टी
21	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	868	0.112	पट्टा भूमि	अंत्याकुला
22	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	875	0.126	सरकारी भूमि	तालाब
23	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	2404	0.057	सरकारी भूमि	रेलवे ट्रैक
24	अनकापल्ली	पिसिनिकाडा	2870	0.132	पट्टा भूमि	पीला
		Total:		5.326		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.482/BZA-VSKP/BZA]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 13th April, 2026

S.O. 1949(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 482 at Km.740/06-08 in between Bayyavaram and Anakapalle Stations” in Kasimkota Village of Kasimkota Mandal & Pisinikada Village of Anakapalli Mandal in Anakapalli District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority for Land Acquisition officer, namely, Revenue Divisional Officer, Anakapalli in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Anakapalli shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by

legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (2) of section 20-D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 482 to an extent of Ac 5.326 cts at Km.740/06-08 in between Bayyavaram and Anakapalle Stations in Kasimkota Village of Kasimkota Mandal & Pisinikada Village of Anakapalli Mandal in Anakapalli District in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	LPM No.	ROB affected extent (Ac.cts)	Land Nature	Name of the Pattadar as per resurvey
1	Kasimkota	Kasimkota	141	0.096	Govt land	Punta
2	Kasimkota	Kasimkota	142	1.448	Govt land acquired	YLMC Kaluva
3	Kasimkota	Kasimkota	143	0.298	Patta land	Bura Appalakonda/Apparao
4	Kasimkota	Kasimkota	147	0.569	Govt land	Railway road
5	Kasimkota	Kasimkota	226	0.143	Inam land	Doddi Appalanarasamma/ Nookaraju
6	Kasimkota	Kasimkota	288	0.01	Patta land	Pattadar
7	Kasimkota	Kasimkota	4303	0.03	Patta land	Pattadar
8	Anakapalli	Pisinikada	818	0.232	Patta land	Karri
9	Anakapalli	Pisinikada	819	0.079	Patta land	Karri Ramana babu
10	Anakapalli	Pisinikada	822	0.36	Patta land	Boyina Santha Kumari
11	Anakapalli	Pisinikada	823	0.032	Patta land	Malla Naidu
12	Anakapalli	Pisinikada	824	0.032	Patta land	Yellapu Venkata lakshmi
13	Anakapalli	Pisinikada	837	0.969	Patta land	Nagireddi Tarakaram
14	Anakapalli	Pisinikada	838	0.058	Patta land	Silaparasetti Naga raju
15	Anakapalli	Pisinikada	839	0.071	Patta land	Silaparasetti Naga raju
16	Anakapalli	Pisinikada	840	0.052	Patta land	Maddala Pavan Kumar
17	Anakapalli	Pisinikada	841	0.014	Patta land	Chintalanka Srinivasa rao

18	Anakapalli	Pisinikada	853	0.108	Patta land	Koribilli Siva Gowri Sanyasirao
19	Anakapalli	Pisinikada	863	0.282	Patta land	Malla Satyavathi
20	Anakapalli	Pisinikada	867	0.016	Patta land	Kunisetti
21	Anakapalli	Pisinikada	868	0.112	Patta land	Antyakula
22	Anakapalli	Pisinikada	875	0.126	Govt land	Cheruvu
23	Anakapalli	Pisinikada	2404	0.057	Govt land	Railway track
24	Anakapalli	Pisinikada	2870	0.132	Patta land	Peela
		Total:		5.326		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.482/BZA-VSKP/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP